तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	71/2012
11/9/24	प्रार्थी पक्ष द्वारा अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं। देखा जाकि, अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता द्वारा मेरे ताहिरा पेशी दिनांक 28/8/2024 एवं 11/9/2024 को भी अनुपस्थित रहे हैं। अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को 2-3 बार बाद शिकायती अर्जी लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय समाप्ति तक भी प्रकरण न्यायार्थ अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को बयान शिकायती अर्जी। लेकिन फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली आदेशिका दि. 2/4/2024 के पश्चात् से अपीलांट एवं उसके अधि. की अनुपस्थिति के बाद उक्त पत्र [illegible] कोई [illegible] वादिम कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अपील अदम हाजरी अदम पैरवी अपीलांट के खारिज की जाकर निर्णय की समर्थित प्रति जारी करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय कुमार दोनों पत्रावली बाद तामील नकलात आरक्षित।

अति. सं. आयुक्त
कोटा